


राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ. 45(75)खा.ले./नीति/केरो./2015-16

जयपुर, दिनांक 16-4-2019

::- अधिसूचना-::

केरोसीन (उपयोग, निबंधन, कीमत, नियतन) आदेश 1993 के खण्ड 2 (डी)(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ. 45(75)खा.ले./नीति/केरो./2012-13 दिनांक 23.03.2017 एवं प्रत्येक पाक्षिक रूप से जारी अधिसूचनाओं सहित दिनांक 01.04.2019 की अधिसूचना के अधिकरण में दिनांक 16.0.2019 से केरोसीन ब्लू डार्ड (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत) की अधिकतम खुदरा विक्रय दर 33.80 रुपये प्रति लीटर (जी.एस.टी. सहित) समस्त खर्चों को सम्मिलित कर निर्धारित की जाती है। शेष शर्तें पूर्व अधिसूचना क्रमांक 45(75)खा.ले./नीति/केरो./2012-13 दिनांक 23.03.2017 एवं आदेश एफ. 45(75)खा.ले./नीति/केरो./2015-16 दिनांक 05.02.2019 के अनुसार यथावत रहेंगी।

  
16/4/19  
(मुग्धा सिन्हा)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अवर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य विभाग, सचिवालय जयपुर।
7. निजी सचिव, अति० खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
8. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
9. उपायुक्त प्रथम/उपायुक्त (भु), खाद्य विभाग, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर/जिला एसड अधिकारी, राज. सरकार।
11. सार्वजनिक वितरण शाखा/पेट्रोलियम/केरोसीन शाखा/मुख्यालय राजस्थान।
12. अध्यक्ष राजस्थान केरोसीन डीलर्स एसोसियेशन, 22 गोदाम, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को ई-मेल करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त